अति आवश्यक
समय बद्ध

प्रेषक

निदेशक मत्स्य पालन विभाग हरियाणा
पंचकूला।

सेवा में

सभी जिला मत्स्य अधिकारी हरियाणा राज्य।

यादि क्रमांक DA-I-2019/ 16106-50
पंचकूला, दिनांक 7-9-19

विषयः— **दिनांक 10—09—2019 दिन मंगलवार को खुली बोली के माध्यम से अधिसूचित पानियों की निलामी के प्रचार व प्रसार करने बारे।**

****

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में आप सभी को सूचित किया जाता है कि जिला यमुनानगर, कुरूक्षेत्र, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद / पलवल तथा जीन्द के अधिसूचित पानियों की खुली बोली दिनांक 10—09—2019 दिन मंगलवार को जिला मत्स्य अधिकारी, सोनीपत के कार्यालय में उप—निदेशक मत्स्य, गुरूग्राम की अध्यक्षता में करवाया जाना सुनिश्चित किया गया है तथा यह भी आदेश दिये जाते है कि आप अपने जिले में इसका प्रचार व प्रसार करवाएं ताकि तय तिथि को खुली बोली के दौरान उपरोक्त अधिसूचित पानियों की निलामी करवाई जाये।

माननीय अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा सरकार मत्स्य पालन ने आदेश दिये है कि अधिसूचित पानियों की खुली बोली के प्रचार हेतू 4'X6' के बैनर सभी नजदीकी मछली मण्डियों तथा दिल्ली की मछली मण्डी में लगाये जाये। आपको आदेश दिये जाते है कि गत् तीन वर्षो से अधिसूचित पानियों के सभी ठेकेदारों को Whatsapp व SMS द्वारा भी सूचित किया जाये। आप अपने अधिनस्थ अधिकारी व कर्मचारियों को तुरन्त उपरोक्त दिये गये जिलों की खुली बोली दिनांक 10—09—2019 के प्रचार व प्रसार के कार्य में आज से लगाये।

(हस्ताक्षर) BFMS
कृतेः निदेशक मत्स्य पालन विभाग हरियाणा,
पंचकूला।

पृ० क्रमांक DA-I-2019/ 16106-50 पंचकूला, दिनांक 7-9-19

इसकी एक प्रति सभी उप—निदेशक मत्स्य हरियाणा राज्य को सूचनार्थ तथा आदेश दिये जाते है कि अपने मण्डल में सभी जिला मत्स्य अधिकारियों से उपरोक्त आदेशों को तुरन्त अमल में लाते हुए आवश्यक कार्यवाही करें।

(हस्ताक्षर) BFOHO
कृतेः निदेशक मत्स्य पालन विभाग हरियाणा,
पंचकूला।

अति आवश्यक / तत्काल

प्रेषक

निदेशक मत्स्य पालन, हरियाणा,
पंचकूला ।

सेवा में,

निदेशक लोक सम्पर्क विभाग, हरियाणा,
चण्डीगढ ।

यादि कमांक वि.स.–I–2019/ 16042
पंचकूला, दिनांक 7-9-2019

विषयः– **वर्ष 2019–20 के अधिसूचित पानियों की निलामी सम्बन्धित विज्ञापन।**

उपरोक्त विषय पर आपसे अनुरोध है कि वर्ष 2019–20 के हरियाणा राज्य के यमुनानगनर, कुरूक्षेत्र, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद/पलवल व जीन्द जिले के अधिसूचित पानियों, नदियों, नहरों तथा ड्रेनों में मछली पकड़ने के अधिकारों की निलामी सम्बन्धित नोटिस (हिन्दी/अग्रेजी) भाषा की दस–दस प्रतियां कम्पयूटर द्वारा टाईप करवा कर आपको भेजी जाती है। कृपया इस निलामी सम्बन्धित विज्ञापन को किसी दो हिन्दी तथा किसी दो अग्रेजी भाषा के हरियाणा तथा दिल्ली में प्रचलित समाचार पत्रों में शीघ्र प्रकाशित करवाने की कृपा करें ताकि निलामी संबंधी प्रचार अधिक से अधिक हो सके। कृपया यह विज्ञापन दिनांक 08–09–2019 के समाचार पत्रों में पृ0 1,3 व अन्तिम को छोड़कर प्रकाशित करवाने की कृपा करें।

संलग्नः–निलामी नोटिस हिन्दी तथा अंग्रेजी
भाषा की दस–दस प्रतियां।

कृतेः निदेशक मत्स्य पालन विभाग, हरियाणा,
पंचकूला।

पृ0 कमांक वि0स0–I–2019/16043 पंचकूला, दिनांक 7-9-2019

इसकी एक प्रति निलामी नोटिस की हिन्दी व अग्रेजी की एक–एक प्रति सहित कम्पयूटर प्रोग्रामर को भेजते हुए लिखा जाता है कि निलामी नोटिस को इस विभाग की वैबसाईट www.harfish.gov.in पर डालने का कष्ट करें।

संलग्नः– उपरोक्त।

कृतेः निदेशक मत्स्य पालन विभाग, हरियाणा,
पंचकूला।

मत्स्य पालन विभाग, हरियाणा

निलामी नोटिस

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि हरियाणा राज्य के जिला यमुनानगनर, कुरूक्षेत्र, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद/पलवल व जीन्द के अधिसूचित पानियों, नदियों, नहरों तथा ड्रैनों में वर्ष 2019–20, निलामी तिथि से 31–8–2020 तक, के लिए मछली पकड़ने के अधिकारों की निलामी दिनांक 10–09–2019 को दोपहर 12.00 बजे खुली बोली द्वारा जिला मत्स्य अधिकारी एंव मुख्य कार्यकारी अधिकारी, रेलवे रोड़, सोनीपत के कार्यालय में की जायेगी।

इच्छुक बोलीदाता को 100000/–रू0 अग्रिम धरोहर राशि निलामी शुरू होने से पूर्व जमा करवानी होगी। निलामी की शर्ते मौके पर सुनाई जायेगी तथा अन्य विवरण व शर्ते किसी भी कार्य दिवस पर सम्बन्धित जिला में जिला मत्स्य अधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी/मण्डल के उप–निदेशक मत्स्य या निदेशक मत्स्य पालन विभाग, हरियाणा, पंचकूला के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। उपरोक्त जिलों में से जिन जिलों की बोली दिनांक 10–09–2019 को सम्पन्न नही होगी उनकी पुनः बोली दिनांक 17–09–2019, 24–09–2019, 30–09–2019 व 09–10–2019 को उसी स्थान व समय पर की जायेगी।

मुख्य शर्तें व विवरण विभागीय वैबवाईट **www. harfish.gov.in** पर देखी जा सकती है।

हस्ता/–

निदेशक मत्स्य पालन विभाग, हरियाणा,
बेज न0 31–32, सैक्टर–4,
पंचकूला।

FISHERIES DEPARTMENT HARYANA

AUCTION NOTICE

Auction of fishing rights of notified waters, rivers, canals and drains of the Districts Yamunanagar, Kurukshetra, Panipat, Sonepat, Faridabad/Palwal and Jind of Haryana State for the year 2019-20, From Date of auction to 31-08-2020, shall be put to open public auction on 10-09-2019 at 12:00 Noon in the office of District Fisheries Officer-Cum-Chief Executive Officer, Railway Road, Sonepat.

The interested bidders shall have to deposit Rs. 100000/- as earnest money before start of auction to take part in the auction. Other terms and conditions shall be announced on the spot and details can also be procured from the office of the District Fisheries Officer-Cum-Chief Executive Officer, of the District concerned or Deputy Director Fisheries at Division level or Director Fisheries Department Haryana, Panchkula. The auction of fishing rights of those districts which shall not be completed on 10-09-2019 shall be held again on dated 17-9-2019, 24-9-2019, 30-9-2019 and 09-10-2019 at same place and same time.

The main terms & conditions can be seen on Departmental website www. harfish.gov.in.

Sd/-

Director Fisheries Department Haryana,
Bays. No. 31-32, Sector 4,
Panchkula.

AUCTION NOTICE

Auction of Fishing rights of Notified Waters, Rivers, Canals and Drains of the districts Yamunanagar, Kurukshetra, Panipat, Sonepat, Faridabad/Palwal and Jind of Haryana State for the year 2019-20, From the Date of auction to 31-08-2020, shall be put to open public auction on 10-09-2019 at 12:00 Noon in the office of District fisheries Officer-Cum-Chief Executive Officer, Railway Road, Sonepat.

Every bidder shall be required to deposit a sum of Rs. 100000/- (Rs. One Lac Only) as earnest money, which shall be returned after the auction, to the bidders, except the successful bidder. The person whose bid accepted shall pay the amount of highest bid offered by him for fishing in full at the time of auction or shall pay 1/3rd (one Third) amount of auction amount at the fall of hammer and the remaining 2/3rd (two Third) amount within 30 days from the date of auction. In case of failure to deposit the remaining 2/3rd amount by the bidder within the stipulated time of 30 days, the 1/3rd amount already deposited by the bidder along with the earnest money and 5% cash security shall be forfeited.

The list of waters of the district can be procured from the office of the District Fisheries Officer-Cum-Chief Executive Officer, of the District concerned during the office hours on any working day. The other terms and conditions of the contract and detail of the waters shall be announced at the time of auction. The auction of fishing rights of those districts which shall not be completed on 10-09-2019 shall be held again on dated 17-9-2019, 24-9-2019, 30-9-2019 and 09-10-2019 at same place and same time.

For: Director Fisheries Department, Haryana
Panchkula.

Endst. No. DA-I-2019/16044-93 Panchkula, dated the 7-9-19

A copy of forwarded to the following for information and necessary action, please:-

1. All the concerned sub Offices, Fisheries Department in Haryana State.
2. All the concerned Deputy Commissioners in Haryana State.
3. Director Fisheries & Warden, Punjab (Chandigarh), Director Fisheries Himachal Pradesh (Bilaspur), Rajasthan (Jaipur), Uttar Pradesh (Lucknow) and Deputy Warden of Fisheries, Govt. Fish Seed Farm, G.T. Road, Seelampur, Delhi-53.
4. All Fish Contractors Haryana, Punjab, Himachal Pradesh, Delhi, Rajasthan and Uttar Pradesh.
5. Director Development & Panchayat, Haryana, Chandigarh.
6. All District Development & Panchayat Officers in Haryana State.
7. All Block Development & Panchayat Officers in Haryana State.

For: Director Fisheries Department, Haryana
Panchkula.

निलामी नोटिस

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राज्य के जिलों यमुनानगर, कुरूक्षेत्र, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद/पलवल व जीन्द के अधिसूचित पानियों, नदियों, नहरों तथा ड्रैनों में वर्ष 2019–20 (निलामी की तिथि से 31–8–2020 तक) के लिए मछली पकड़ने के अधिकारों की निलामी दिनांक 10–09–2019 को दोपहर 12.00 बजे खुली बोली द्वारा जिला मत्स्य अधिकारी एंव मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मत्स्य किसान विकास एजैंसी, रेलवे रोड़, सोनीपत के कार्यालय में की जायेगी।

प्रत्येक जिले के पानियों को छोटे–2 टुकड़ों में या इक्ट्ठा नीलाम किया जा सकता है तथा कुछ जिलों के पानियों को इक्ट्ठा मिलाकर भी निलामी की जा सकती है। जिस भी तरीके से अधिक बोली प्राप्त होगी, उसी प्रकार बोली छोड़ी जायेगी।

बोलीदाता 1,00,000/–रू0 अग्रिम धरोहर राशि निलामी शुरू होने से पूर्व जमा करवानी होगी जो कि सफल बोलीदाता के अतिरिक्त अन्य सभी जमा करवाने वालों को बोली समाप्त होने पर वापिस कर दी जायेगी। जिस बोलीदाता की बोली मंजूर होगी, उस सफल बोलीदाता को ठेके की पूरी धनराशि मौके पर जमा करवानी होगी अथवा ठेके की कुल बोली का 1/3 हिस्सा धनराशि मौके पर जमा करवानी होगी तथा 2/3 हिस्से की धनराशि निलामी की तिथि से 30 (तीस) दिन के अन्दर–2 जमा करवानी होगी। ऐसा न करने पर बोलीदाता द्वारा मौके पर जमा करवाई गई 1/3 हिस्से की धनराशि, धरोहर राशि तथा 5 प्रतिशत जमा करवाई गई कैश सिक्योरिटी जब्त कर ली जायेगी। जिस व्यक्ति के पक्ष में निलामी छोड़ी जायेगी उसको निलामी के तुरन्त बाद मत्स्य नियमों 1996 की ठीक प्रकार से अनुपालना के लिए कुल बोली की राशि के 5 प्रतिशत भाग के बराबर सिक्योरिटी जमा करवानी होगी।

जिला के पानियों की सूचि सम्बन्धित जिला के जिला मत्स्य अधिकारी एंव मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मत्स्य किसान विकास एजैंसी के कार्यालय में किसी कार्यदिवस के समय प्राप्त की जा सकती है। ठेके की अन्य शर्तो व पानियों का विवरण निलामी के समय दिया जायेगा। जिस–2 जिला के अधिसूचित पानियों की निलामी दिनांक 10–09–2019 को पूर्ण नहीं होगी, उन जिलों के पानियों की निलामी आगे निम्न प्रकार से होगी। इच्छुक बोलीदाताओं को निम्नलिखित स्थान/समय व तिथि पर पहुंचने के लिए अनुरोध किया जाता है।

क0सं0	निलामी की तिथि	निलामी का समय	निलामी का स्थान
1.	17–09–2019	दोपहर 12.00 बजे	कार्यालयः जिला मत्स्य अधिकारी एंव मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मत्स्य किसान विकास एजैंसी, सोनीपत।
2.	24–09–2019	–उपरोक्त–	–उपरोक्त–
3.	30–09–2019	–उपरोक्त–	–उपरोक्त–
4.	09–10–2019	–उपरोक्त–	–उपरोक्त–

कृते निदेशक मत्स्य पालन विभाग, हरियाणा,
पंचकूला।

पृ0 क्रमांक वि0स0–I–2019/16044-93 पंचकूला, दिनांक 7-9-19

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव प्रचार हेतू भेजी जाती है:–

1. सभी सम्बन्धित उप–कार्यालय, मत्स्य पालन विभाग, हरियाणा राज्य।
2. सभी उपायुक्त, हरियाणा राज्य।
3. निदेशक मत्स्य पालन विभाग, पंजाब (चण्डीगढ), हिमाचल प्रदेश (बिलासपुर), राजस्थान (जयपुर), तथा उत्तर प्रदेश (लखनऊ) व उत्तराखंड एवं डिप्टी वार्डन आफ फिशरिज राजकीय मत्स्य बीज फार्म, जी.टी. रोड, सीलमपुर, दिल्ली–53.
4. सभी मछली ठेकेदार, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दिल्ले व उत्तर प्रदेश।
5. निदेशक विकास एवं पंचायत हरियाणा, चण्डीगढ।
6. सभी जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, हरियाणा राज्य।
7. सभी खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी, हरियाणा राज्य।

कृतेः निदेशक मत्स्य पालन विभाग, हरियाणा,
पंचकूला।

हरियाणा सरकार के सरकारी पानियों की नीलामी की मुख्य शर्ते

1. मत्स्य नियमावली 1996 के अधीन हरियाणा राज्य के अधिसूचित पानियों में मछली पकडने के अधिकारों की नीलामी उप–निदेशक मत्स्य गुरूग्राम की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा खुली बोली द्वारा जिला मत्स्य अधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मत्स्य किसान विकास एजैंसी, रेलवे रोड, सोनीपत के कार्यालय में की जायेगी।

2. मछली ठेके नीलाम करने वाली समिति की अध्यक्षता उप–निदेशक मत्स्य गुरूग्राम करेगा। नीलामी समिति की सिफारिश के आधार पर निरीक्षण उपरांत नीलामी की मंजूरी निदेशक, मत्स्य पालन द्वारा दी जायेगी।

3. सरकारी पानी जो निलाम किये जा रहे है, में कोई व्यक्ति बिना लाईसैंस के मछली नही पकड़ सकता। लाईसैस सम्बन्धित जिले का अधिकारी देगा।

4. नीलामी करने वाला अधिकारी अधिक से अधिक बोली मन्जूर करने का पाबन्द नही होगा।

5. नीलामी करने वाला अधिकारी जिला के पानियों को एक या एक से अधिक भागों में निलाम करने का अधिकार रखता है।

6. जो आदमी बोली देना चाहता है उसको 100000/–रू0 निलामी से पूर्व बतौर धरोहर राशि निलामी करने वाले अधिकारी के पास जमा करवानी होगी, जो सफल बोलीदाता के अतिरिक्त निलामी खत्म होने पर सभी को लौटा दी जायेगी।

7. अगर अधिक से अधिक बोली किसी फिशरमैन को–ओप्रेटिव सोसाईटी, जो कि मौजूदा कानून के मुताबिक मन्जूर सुदा है, की है तो उससे ज्यादा बोली वही मन्जूर होगी जो सोसाईटी की बोली से 10 प्रतिशत अधिक होगी। अगर वही सबसे अधिक बोली पिछले तीन सालो की औस्त से कम होगी तो अधिकारी उस अधिक से अधिक बोली को या फिशरमैन को–ओप्रेटिव सोसाईटी की बोली को मन्जूर करने का पाबन्द नही होगा और ठेका दोबारा निलाम करने का अधिकारी होगा।

8. जिस ठेकेदार की बोली मन्जूर होगी, उस सफल बोलीदाता को ठेके की पूर्ण धनराशि मौके पर जमा करवानी होगी या ठेके की कुल बोली का 1/3 भाग तथा कुल बोली की 5 प्रतिशत राशि धरोहर राशि के रूप में मौके पर जमा करवानी होगी, शेष 2/3 हिस्से की राशि निलामी की तिथि से 30 दिन के अन्दर–2 जमा करवानी होगी। ऐसा न करने पर बोलीदाता द्वारा मौके पर जमा करवाई गई 1/3 हिस्से की धनराशि धरोहर राशि तथा 5 प्रतिशत जमा करवाई गई कैश सिक्योरिटी जब्त कर ली जायेगी । यदि उच्चतम बोली की धनराशि 15,000/–रू0 से कम है तो पूरी धनराशि का भुगतान मौके पर ही करना होगा ।

9. यदि लाईसैंसदार इन कानूनों में से या लाईसैंस की किसी शर्त को तोडता है तो लीगल कार्यवाही के ईलावा उसकी जमानत की रकम या कुछ भाग जो भी लाईसैंस जारी करने वाला अधिकारी ठीक समझे जब्त कर लिया जायेगा । यदि लाईसैंस रद्द नही किया जाता तो ठेकेदार जमानत जब्त करने की सूचना लाईसैस जारी करने वाले अधिकारी से मिलते ही जमानत की रकम या उसका जब्त किया गया भाग तुरन्त जमा करवाकर जमानत की रकम पूरी करेगा ।

10. ठेकेदार द्वारा निलामी की पूर्ण राशि जमा करवाने तथा करारनामा देने पर फार्म (बी) पर लाईसैस जारी कर दिया जायेगा ।

11. लाईसैंस या ठेके की अवधि कानून के अर्न्तगत निलामी की तिथि से अगले वर्ष की 31 अगस्त तक होगी।

12. लाईसैसदार या एजैन्ट या परमिटदार पहली जुलाई से 31अगस्त तक बन्दी के मौसम में बन्सी डोरी और हाथ की डोरी के ईलावा किसी भी साधन से मछली नही पकडेगा ।

13. लाईसैसदार खुद या उसके नुमाईदे जिनके पास सम्बन्धित जिला मत्स्य अधिकारी के हस्ताक्षर वाले परमिट होंगे, वही मछली पकडने का हकदार होगा।

14. ठेकेदार स्वंय या उसके एजैन्ट का नुमाईदा उन पानियों में जहां शिकार बन्द किया गया है, मछली नही पकडेगा। इसके साथ नियमावली 1996 की धारा 10 के अर्न्तगत यमुनानगर के निम्नलिखित पानियों में मछली पकडने की पाबन्दी होगी :–

1. यमुना नदी	हथिनी कुण्ड से गांव कलेसर तक ।
2 पश्चिमी यमुना नहर	गांव जैधरी दादुपुर हैड वर्कस आर.डी. 51900 से 66347 तक मुख्य लाईन अपर तथा दादुपुर हैड वर्क्स से गांव अमादलपुर तक आर.डी. 0 से 32600 तक मुख्य लाईन लोअर

15. लाईसैसदार या उसके एजैन्ट का नुमाईदा नीचे लिखे हुए मछली पकडने के साधनों के ईलावा किसी ओर तरीके से मछली नही पकड सकते है ।

(अ) सभी प्रकार के जाल जिनमें खानों (घरों) की एक गांठ से दूसरी गांठ तक का अन्तर चार सैंटीमीटर हो या चारों ओर का घेरा 16 सैटीमीटर हो ।

(ब) कुण्डियों वाली लाईन ।

(स) बन्सी डोरी ।

(द) हाथ धागा कुण्डियां ।

16. ठेकेदार पुलो के उपर और नीचे 100 मीटर तक सिवाऐ कुण्डी डोरी के किसी ओर साधन से शिकार नही कर सकता है ।

17. ठेकेदार यमुना नदी के रेलवे पुल जगाधरी के 200 मीटर उपर व नीचे तथा घग्गर नदी के 200 मीटर उपर व नीचे सिवाऐ बन्सी डोरी के किसी भी अन्य साधन से मछली नही पकड सकता ।

18. ठेकेदार उसके एजैन्ट या नुमाईदें नीलाम हुए पानी में कोई स्थाई ईजनों का मछली पकडने के लिये न तो निर्माण करेगा और न ही करवायेगा । महा–जाल मछली की रूकावट के लिये नही लगायेगा।

19. ठेकेदार जहर डाल कर, बिजली लगाकर, बारूद मार कर या अन्य जहरीली औषधि का, पटाखे वाली चीज द्वारा मछली नही पकडेगा और न ही वह अपने एजैण्ट व नुमाईदें को पकडने देगा ।

20. लाईसैसदार को अपना लाईसैस उन अधिकारियों को दिखाना होगा, अन्यथा अधिकारी ऐसे व्यक्ति को पंजाब मत्स्य क्षेत्र अधिनियम 1914 की धारा 6 के अधीन बिना वारन्ट के गिरफतार करने के लिये सशक्त है ।

21. लाईसैसदार उसके एजैण्ट या नुमाईदे न तो 30 सैटीमीटर से कम लम्बी कतला, राहू,, मिरगल, कलवास, माहशेर, सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प व कामन कार्प किस्म की कोई मछली बेचने अथवा विनिमय के लिये नही पकडेगा तथा न ही प्रदर्शित करेगा ।

22. ठेकेदार निदेशक मत्स्य से पूर्व प्राप्त स्वीकृति के बिना किसी के नाम ठेका तबदील नही कर सकता है ।

23. ठेकेदार को एक परमिट रजिस्टर रखना होगा, जिसमें जिन व्यक्तियों को परमिट दिया गया है, उनके नाम पते दर्ज करने होगें ।

24. लाईसैसदार को एक रजिस्टर रखना होगा जिसमें पकडी गई मछली, बेची गई मछली का वजन दर्ज करना होगा। जिस साधनों द्वारा मछली पकडी गई हो वह लिखने होंगें तथा जिस किस्म की मछलियां हो और जहा से पकडी गई हो लिखना होगा । मछलियों के थोक व प्रचून भाव भी लिखने होगे ।

25. ठेकेदार एक मासिक रिपोर्ट प्रत्येक मास की 5 तारीख तक सम्बन्धित जिला मत्स्य अधिकारी को भेजेगा, जिसमें पिछले पैरा में दी गई सारी सूचना होगी । अगर ठेकेदार रिपोर्ट निश्चित समय पर नही भेजता है तो 10/– रू0 प्रतिदिन के हिसाब से 10 दिन तक जुर्माना वसूल किया जायेगा । यदि वह दर्शाई गई अवधि के अन्दर रिपोर्ट प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है, तो उसका लाईसैस रद्दद किया जा सकता है ।

26. ठेकेदार उस मछली पर कमीशन नही लेगा जो मछली विभाग उसको बेचने के लिये देगा ।

27. यदि मछली ठेकेदार तथा उसका एजैन्ट अथवा उसका नामजद व्यक्ति नियमों में किसी प्रकार के उल्लघंन के सम्बन्ध में जो उसके ध्यान में आता है, उसकी सूचना ईलाके के तहसीलदार या उपायुक्त तथा विभाग के अधिकारी को देने के लिये बाध्य होगा ।

28. ठेकेदार सरकार से किसी प्रकार का कोई भी मुआवजा पानी गन्दा होने, बाढ के आ जाने या कीमतो के घट जाने या कानूनी कार्यवाही करने के कारण या किसी अन्य कारण से नही ले सकता।

29. ठेकेदार किसी ऐसे नुकसान के लिये मुआवजे का दावा करने का हकदार नही होगा जो उसे इन नियमों के किसी उपबन्ध अथवा उसकी अनुज्ञाप्ति के किसी निबन्धन के उल्लघंन के लिये मत्स्य पालन विभाग के किसी कर्मचारी /अधिकारी द्वारा उसके विरूद्ध की गई कार्यवाही के कारण हुआ हो ।

30. निदेशक मत्स्य पालन विभाग का कोई भी अधिकारी या कर्मचारी मछली के हिसाब –किताब की जांच–पडताल के लिये ठेकेदार या मछली पकडने, स्टोर करने या मछली बेचने की जगह में दाखिल हो सकता है और रिकार्ड देख सकता है ।

31. कानून के विरूद्ध मछली पकडने पर ठेकेदार का तमाम मछली पकडने का सामान जब्त किया जा सकता है और नजदीकी पुलिस थाने में ले जाया जा सकता है तथा पकडी गई मछली जब्त करके निलाम की जा सकती है ।

32. यदि ठेकेदार या उसका एजैण्ट का नुमाईदा इन कानूनों में से किसी को तोडता है या लाईसैस की किसी शर्त को तोडता है, तो मत्स्य विभाग द्वारा कानून के अधीन कार्यवाही करने के अतिरिक्त उसका लाईसैस भी रद्रद किया जा सकता है । इस हालात में ठेका दोबारा निलाम किया जा सकता है और लाईसैसदार को पुनः निलाम करने का खर्चा तथा जो घाटा सरकार को होगा, देना पडेगा । लाईसैस रद्रद होने की हालात में जारी किये गये परमिट भी रद्रद समझे जायेगें ।

33. लाईसैस जारी करने वाला अधिकारी निलाम किये हुए पानियों में बन्सी डोरी के लाईसैस जारी कर सकता है।

इन लाईसैसों की फीस निम्न प्रकार होगी:–

1. एक वर्ष के लिये	100/–रू0
2. एक माह के लिये	50/–रू0
3. एक सप्ताह के लिये	25/–रू0
4. दैनिक	5/–रू0

34. विभाग निलाम किये हुये पानियों में से किसी भी साईज की मछली रिसर्च के लिये, बढोतरी के लिये किसी भी समय और किसी भी साधन से पकड सकता है । ठेकेदार इसके लिये कोई भी मुआवजा नही ले सकता।

35. सफल बोलीदाता द्वारा बोली की रक्म का 1/3 भाग जमा सिक्योरिटी मौके पर बोली स्थल पर जमा करवानी होगी तथा शेष राशि सम्बन्धित जिले के जिला मत्स्य अधिकारी के पास जमा करवानी होगी।

36. यदि अधिसूचित पानियों में कोई मागूंर मछली पाई जाती है तो ठेकेदार को उसे मत्स्य विभाग के अधिकारी/कर्मचारियों के सामने नष्ट करना होगा।

37. अनुसूचित जाति से सम्बन्धित सफल बोलीदाता को अधिसूचित पानियों में मछली पकडने के अधिकारों की प्राप्ति पर स्वीकृत बोली के 25 प्रतिशत की दर से अधिकतम सीमा **4,00,000/–रू0** की वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी । उस सफल बोलीदात के पास अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड व हरियाणा का निवासी होना जरूरी है।

38. यमुनानदी में मछली पकडने के अधिकार के सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि यमुनानदी का फैलाव पडोसी राज्य (उत्तर प्रदेश) में मछली पकडने पर रोकने के लिये हरियाणा सरकार / मत्स्य विभाग की जिम्मेवारी नही होगी ना ही मत्स्य विभाग हरियाणा इस सम्बन्ध में कोई मुआवजा देगा ।

39 राज्य के अधिसूचित पानियों में नदिया, नहरे, नाले, झीले यानि हरियाणा नियमावली 1996 में नियम–1(2)के तहत दी गई पानियों की अनुसूची के अलावा कोई जल संसाधन शामिल नही है ।

40. सफल बोलीदाता को कुल निलामी की धनराषि का 1.5 प्रतिशत स्टाम्प डियूटी व 500/–रू0 प्रति केस रजिस्ट्रेशन फीस के साथ विभाग से करारनामा करना होगा ।

41. उपरोक्त शर्तो के अतिरिक्त प्रत्येक ठेकेदार को हरियाणा मत्स्य नियमावली 1996 में दर्षाई गई शर्तो की भी अनुपालना करनी होगी।

42. जी0एस0टी0 नियमानुसार लागू होगा।

कृतेः निदेशक मत्स्य पालन, विभाग,
हरियाणा, पंचकूला।